

“सार्वजनिक सूचना”

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि नौएडा के आवासीय, औद्योगिक एवं संस्थागत सैक्टरों एवं मुख्य मार्गों के साथ स्थित ग्रीन बैल्टों में Mobile Connectivity हेतु प्राधिकरण की संशोधित नीति के अनुसार जीबीएम मोबाईल टॉवर स्थापित किये जाने हेतु Department of Telecommunication (DoT), Govt. of India में पंजीकृत मोबाईल सेवा ऑपरेटर्स/मोबाईल इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनियों से उनकी अपनी आवश्यकतानुसार स्थल का चयन करने हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। जीबीएम मोबाईल टॉवर स्थापित किये जाने हेतु नौएडा की अनुमोदित संशोधित नीति की सम्पूर्ण नियम एवं शर्तें तथा 156 स्थलों की सूची का विवरण प्राधिकरण की वेबसाइट www.noidaauthorityonline.com पर उपलब्ध है।

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (आर०के०एम०)

नौएडा